



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54931

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2516/2026

सुनील राठौर

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अभिनव द्विवेदी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: अमित खन्ना, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

- हमने अपीलकर्ता के अधिवक्ता, सूचनादाता के अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता **सुनील राठौर** द्वारा कन्नौज के विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम द्वारा दिनांक 13.11.2025 को जमानत याचिका संख्या 1973/2025 में पारित जमानत अस्वीकृति आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 627/2025, धारा 103(1) बीएनएस और धारा 3(2)वी, थाना कन्नौज, जिला कन्नौज से उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ता ने उपरोक्त मामले में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की भी प्रार्थना की है।
- अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने सूचनादाता के बेटे को दोपहर 12 बजे बुलाया और उसे अपने साथ ले गया। जब वह शाम तक नहीं लौटा, तो उसने खोजबीन की और 12.8.2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे उसे सूचना मिली कि उसके बेटे का शव मकरंद नगर स्थित कैलाश कोल्ड स्टोरेज के पास पड़ा है। आगे आरोप है कि उसके बेटे की हत्या अपीलकर्ता ने की है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि मृतक की बहन के बयान के अनुसार, घटना से एक महीने पहले मृतक और अपीलकर्ता के बीच झगड़ा हुआ था और मृतक को ईंट से चोट पहुंचाने का मुख्य आरोप सह अभियुक्त शीलू पर लगाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कथित ईंट सह अभियुक्त शीलू उर्फ शनि के कब्जे से बरामद की गई है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 13.2.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5348/2026 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत दे दी है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं, इसलिए निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण और अवैध है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13.08.2025 से जेल में बंद है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, वर्तमान अपीलकर्ता को सौंपी गई भूमिका और चोट की प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है।

7. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश **रद्द** किया जाता है।

8. उपरोक्त अपराध संख्या में शामिल अपीलकर्ता **सुनील राठौर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।
 - (iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (iv) अपीलकर्ता उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

18 मार्च, 2026

कृष्णा*

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"